मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः22.04.2026

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के नेतृत्व में अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के अभियोग में 05 आरोपियों को करायी गयी आजीवन कारावास एवं कुल ₹ 02 लाख 21 हजार के अर्थदण्ड की सजा —

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पीयूष मोर्डिया-अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन व आर.पी.सिंह-पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में अपर्णा रजत कौशिक-पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है। उक्त अभियान के क्रम में थाना को0कटरा पर हत्या से सम्बन्धित अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी। जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-01 मीरजापुर द्वारा दोषसिद्ध 05 अभियुक्तों को आजीवन सश्रम कारावास एवं ₹ 02 लाख 21 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांकः 28.09.2009 को थाना को0कटरा पर वादी दानिश अहमद द्वारा नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध एक राय होकर जान मारने की नीयत से लाठी डण्डा, असलहे से जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल करने तथा दौराने ईलाज सरजिल की गोली लगने से मृत्यु होने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी गई। उक्त के सम्बन्ध में थाना को0कटरा पर मु0अ0सं0-1167/2007 धारा 147,148,149,307,302 भादवि, मु0अ0सं0-1170/2009 धारा 3/25 आयुध अधिनियम, मु0अ0सं0- 1173/2009 धारा 3/25/27/30 आयुध अधिनियम तथा 1172/2009 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर विवेचना एवं साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मा0न्यायालय/जेल भेजा गया। अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत उक्त घटना को प्राथमिकता देते हुए थाना को0कटरा पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सेल को निर्देशित करते हुए गुणवत्तापूर्ण तथा सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कराया गया। अभियोजन अधिकारी-एडीजीसी सच्चिदानन्द तिवारी, विवेचक- निरीक्षक इन्द्र प्रकाश सिंह कोर्ट मुहर्रिर- मुख्य आरक्षी हवलदार सिंह यादव व आरक्षी वेद प्रकाश यादव तथा पैरोकार- मुख्य आरक्षी राजीव यादव द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। जिसके फलस्वरूप आज दिनांकः 22.04.2026 को मा0न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश मीरजापुर-संतोष कुमार गौतम द्वारा दोषसिद्ध 05 अभियुक्तों 1. वंश नारायण पाण्डेय पुत्र शिवचरन पाण्डेय निवासी आवास विकास कालोनी थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर, 2. ऋषि पाण्डेय उर्फ गुरू पुत्र वंश नारायण पाण्डेय

निवासी आवास विकास कालोनी थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर, 3. प्रमोद कुमार दूबे उर्फ दरोगा पुत्र श्यमा सुन्दर दूबे निवासी बरौधा थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर, 4. बालकृष्ण दूबे उर्फ लालकृष्ण दूबे पुत्र श्यामसुन्दर दूबे निवासी बरौधा थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर व 5. अंशुमाली मिश्र पुत्र अमरेश मिश्र निवासी आवास विकास कालोनी थाना को0कटरा जनपद मीरजापुर को आजीवन सश्रम कारावास एवं कुल ₹ 02 लाख 21 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 06 माह का अतिरिक्त सा0कारावास भुगतना होगा।

****